न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 63 / 2019

उनवान

1. मनोज पुत्र पृथ्वीराज सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
2. श्रीमती नारायण पत्नी मनोज कुमार सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर

अपीलार्थी

बनाम

1. मुकुट बिहारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
2. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 कुंजबिहारी सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
3. कृष्ण मुरारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
4. श्याम बिहारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
5. महादेवी पुत्री कुंजबिहारी सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
6. चंचल पुत्री कुंजबिहारी सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
7. श्रीमती गीता देवी पत्नी कुंजबिहारी सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

----रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 02 / 2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2018

अभिभाषक : 1. श्री पी आर चौधरी अधिवक्ता अपीलार्थी

2. प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 स्वय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 10.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शिवनगबर पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा में कन्हैया लाल पुत्र कालूराम सुनार के नाम पर आराजी नम्बर 120 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 121 रकबा 1 बिस्वा खाते में दर्ज है। उक्त आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता कुन्जबिहारी व 2 का 1/2 यानि 1/4, 1/4 हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से अनुसार उक्त आराजियात पर काबिज काश्त व सिंचाई करते चले आ रहे हैं। खातेदार कुंजबिहारी की मृत्यु जो जाने से उसके वारिस प्रतिवादी नम्बर 1 को कायम किया गया । उक्त आराजियात सम्मिलित खाते में दर्ज होने से दरमियाद फरिकेन फसल काश्त करने, फसल काटने व लगान वगैरह जमा कराने में व सिंचाई करने में काफी परेशानी रहती है इसलिए वादी आराजी नम्बर 120 का माफिक हक हिस्सा मुन्दर्जे वाद पत्र के कॉलम नम्बर 2 व आराजी नम्बर 212 का माफिक हिस्सा ओसरा वाईज सिंचाई हेतु उक्त आराजियात का विभाजन कराना चाहता है।

2. प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उक्त आराजियात में वादी को उसके 1/2 हक हिस्से व खातेदारी अधिकार की आराजी में फसल आदि काश्त करने कराने, घास आदि काटने में हस्तक्षेप करते है, जबरन वादी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करते हैं और प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 अपने हिस्से

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की आराजी को बिना विभाजन कराये कानून की मंशा के विपरीत दिगर को विक्रय करने एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण व उसका पंजीयन करने कराने पर आमादा है व प्रतिवादी नम्बर 4 से 6 जिनका उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं होते हुए भी जबरन कब्जा करने व लडाई झगडा करने पर उतारू रहते हैं। यह रवैया उन्होंनें दिनांक 12.8.2017 से जारी कर रखा है तथा बावजूद तकाजा उक्त आराजियात का विभाजन कराने से इंकार हैं।

3. अतः मुतदाविया मुन्दर्जे वाद पत्र कॉलम नम्बर 1 के लिए विभाजन की डिक्री माफिक हिस्सा मुन्दर्जे वाद पत्र कॉलम नम्बर 2 आराजी नम्बर , रकबा व लगान की तसरीह से कब्जे कायमी व सिंचाई के ओसरे वाईज के साथ बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर पारित की जावे एवं बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नम्बर 1, 2 एवं 4 से 6 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं द्वारा उक्त आराजियात में वादी के हक हिस्से की आराजियात में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने व विभाजन से पूर्व उक्त आराजियात में से किसी भी हिस्से की आराजियात को दिगर को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण एवं उसका पंजीयन करने कराने से रूके रहे व प्रतिवादी नम्बर 4 से 6 का उक्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं होते हुए भी जबरन कब्जा करने व लडाई झगडा करने से रूके रहे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं वाद विचारण दिनांक 25.5.2018 को निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.5. 2018 को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। हाल ही में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय से बंटवाडा का दावा जीत जाने व जमीन से बेदखल करने की धमकी दी, इस पर जानकारी कर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.1.2019 को पेश किया व नकल दिनांक 15.1.2019 को प्राप्त हुई। इसके पश्चात अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाई और दिनांक 16 व 17 मार्च 2019 का अवकाश हो जाने से व अपीलार्थीगण मौसमी बीमारी से भी पीडित हो जाने से अधिवक्ता से सम्पर्क कर नहीं कर सका व आज अविलम्ब यह अपील पेश की जा रही ही है।इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की तारीख से अपील प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किया जावे।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि विवादित आराजियात जो कि कन्हैया लाल पुत्र कालूराम सुनार के नाम पर दर्ज थी। कन्हैया लाल जी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

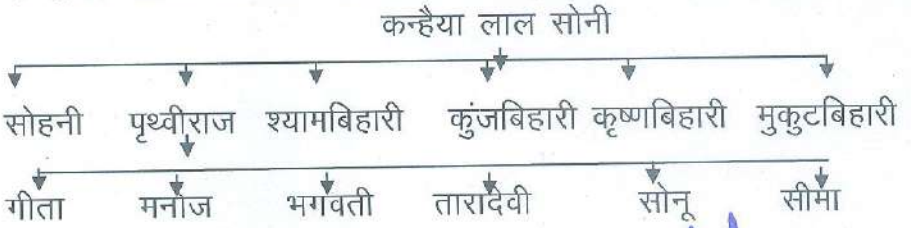

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कुंजबिहारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा में झूठे तथ्यों के आधार पर सही तथ्यों को छुपाकर वाद पत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 301/2011 राजस्व वाद कायम हुए , जिसमें दिनांक 14.10.2013 को एक तरफा डिक्री पारित करवा ली, उक्त डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1344 दिनांक 10.7.2015 को कुंजबिहारी, कृष्णमुरारी, मुकुटबिहारी, सोहनी देवी, पत्नी कन्हैया लाल के नाम दर्ज करवा ली ।उसके बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मुकुट बिअहारी ने विभाजन का वाद पेश कर एकतरफा डिक्री पारित करवा ली जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उक्त आराजियात कन्हैया लाल पुत्र कालू जी की है, उक्त सजरे के आधार पर सोहनी देवी, कन्हैया लाल के वारिसान श्यामबिहारी, कुन्ज बिहारी, कृष्णमुरारी, मुकुट बिहारी सभी मौके पर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

8. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रकरण संख्या 301/2011 राजस्व वाद कायम हुए, जिसमें दिनांक 14.10.2013 को एकतरफा डिक्री पारित करवा ली , उक्त डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1344 दिनांक 10.7.2015 को कुन्जबिहारी, कृष्णमुरारी, मुकुट बिहारी, सोहनी देवी पत्नि कन्हैया लाल के नाम दर्ज करवा लिया, उसके बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मुकुट बिहारी ने विभाजन का वाद पेश किया , उक्त प्रकरण की अपील अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् के समक्ष पेश की, जिसके प्रकरण संख्या 50/2016 कायम हुए, उक्त अपील दिनांक 7.8.2018 को निर्णित करते हुए निर्णय दिनांक 14.10.2014 को निरस्त करते हुए रिमाण्ड की गई, इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण संख्या स्वतः निरस्तनीय है एवं निर्णय दिनांक 7.8.2018 की आज दिन

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

तक अपील नहीं हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। मामले में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय /डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2018 की कियान्विती आज तक नहीं हुई है। मामले में जो निर्णय पारित किया है जो केवल मात्र आदेशिका है व मामले में कोई विधिवत विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया है व जो निर्णय है वह निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा गया जिसके सम्मन नोटिस भी अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुए बिना पक्षकारों की उपस्थिति व सहमति के लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। प्रकरण में कोई राजीनामा पेश नहीं किया केवल उपस्थिति के हस्ताक्षर किये, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लिये, विवाद्यकों की विरचना किये बिना व बिना प्रारंभिक डिक्री में बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये बिना एक ही दिन में निर्णय/डिक्री पारित कर अंतिम डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। मामले में जिस दिन प्रारंभिक डिक्री पारित की उसी दिन अंतिम डिक्री जारी कर दी गई । जो बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर मामले में बिना विवाद्यक कायम किये , बिना वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये, बिना प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये , केवल मात्र अपने प्रकरण निस्तारण

(कैलाश चन्द्र लखारा)
द्वि-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

करने का कोटा पूरा करने के उद्धेश्य से न्याय का गला घोंटकर एक ही दिन में निर्णय पारित किया है , जबकि मामले में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई। बिना पक्षकारान की मौजूदगी के बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। यदि मौके पर जाकर बंटवाडा प्रस्ताव बनाया जाता तो अपीलार्थीगण मौके पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण में अपील की जानकारी दे सकते व उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखा जा सकता व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपील प्रकरण संख्या 50/2016 अ.रे. न्यायालय हाजा में पक्षकार होते हुए भी मिथ्या तथ्यों पर वाद पत्र पेश किया गया , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजर अंदाज कर विधिक प्रकिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2018 को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी ।

11. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद माने जाने

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1344 दिनांक 10.7.2015 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री पारित की है। जबकि उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 301/2011 निर्णय दिनांक 14.10.2013 के आधार पर खोला गया । जिसकी अपील न्यायालय हाजा में होने से उक्त निर्णय दिनांक 14.10.2013 को ही निरस्त कर दिया गया । जिसकी अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा नहीं की गई । उसके बाद नया वाद पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन वाद पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित करवा ली । जिसमें अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने जो सजरा प्रस्तुत किया था वह गलत था। निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री एक ही दिन मे पारित की गई है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थीगण की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की ई थी।

13. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा मे कृष्ण मुरारी पुत्र कन्हैया लाल ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 8, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 301/2011 दर्ज किये गये एवं बाद विचारण

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा ने बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2013 पारित करते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया । उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2013 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1344 दिनांक 10.7.2015 राजस्व रेकार्ड में खोल दिया गया । उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के उक्त प्रकरण संख्या 301/2011 निर्णय दिनांक 14.10.2013 की अपील न्यायालय हाजा में की गई। जिस पर न्यायालय हाजा में अपील संख्या आर टी ए/50/2016 दर्ज की गई एवं बाद विचारण न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 7.8.2018 पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 301/2011 निर्णय दिनांक 14.10.2013 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि प्रकरकण में हितबद्ध पक्षकारों को संयोजित कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 7.8.2018 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2013 निरस्त होने से उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1344 दिनांक 10.7.2015 स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

14. न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या आर टी ए/50/2016 निर्णय दिनांक 7.8.2018 की कोई अपील नहीं की गई। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1344 दिनांक 10.7.2015 निरस्त हो जाता है। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी मुकुट बिहारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी ने अधीनस्थ

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय में इस तथ्य को छिपाते हुए पुनः वाद पत्र विभाजन हेतु प्रस्तुत कर दिया । उक्त विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.1.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया । उक्त वाद पत्र के दर्ज होने तक न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में लंबित अपील संख्या आर टी ए/50/2016 पर कोई निर्णय पारित नहीं हो पाया था। परन्तु न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत होने की जानकारी पक्षकारान को थी । क्योंकि पूर्व में दर्ज अपील संख्या आर टी ए/50/2016 में मुकुट बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण मुरारी अपीलार्थीगण थे । परन्तु उनके द्वारा न्यायालय हाजा में दर्ज अपील के तथ्य को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में नया वाद विभाजन हेतु प्रस्तुत कर दिया । न्यायालय हाजा में अपील संख्या आर टी ए/50/2016 लंबित चल रही थी। उक्त अपील में निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से पूर्व ही अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय एवं प्रांरंभिक डिक्री पारित की गई एवं बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया जाकर निर्णय एवं अंतिम डिक्री भी तथ्य को छिपाते हुए प्राप्त की गई ।

15. अपीलाधीन प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.1.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने के साथ ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.2.2018 नियत की गई। नियत पेशी दिनांक 12.2.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुआ जिसने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया । तथा प्रतिवादी संख्या 2,4,5,6 की ओर से पावर सुशील कुमार जोशी ने प्रस्तुत किया गया एंव जवाब दावा हेतु प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 13.3.2018 को नियत किया गया । दिनांक 13.3.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश पारित किया गया एवं पत्रावली को वास्ते शहादत वादी में आगामी पेशी दिनांक 17.4.2018 को नियत किया गया । दिनांक 17.4.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.7.2018 नियत की गई। नियत दिनांक 24.7.2018 से पूर्व ही दिनांक 25.5.2018 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गागेडा पर रखा गया । जिसमें अधिवक्ता वादी उपस्थित थे एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने की स्थिति में राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 1344 दिनांक 10.7.2015 के आधार पर दर्ज अंकन के आधार पर विभाजन का वाद पत्र स्वीकार कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। कैम्प कोर्ट में ही बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार से तलब किया गया । बंटवाडा प्रस्ताव तलब कर राजस्व लोक अदालत कैम्प गागेडा में ही अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री भी पारित कर दी गई।

16. न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में लंबित अपील संख्या आर टी ए/50/2016 में लंबित अपील की जानकारी पक्षकारान को थी परन्तु उनके द्वारा तथ्य को छिपाकर नया वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया गया । जब एक अपील वादग्रस्त आराजी के बाबत पूर्व में लंबित चल रही थी उसके बावजूद नया वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा में लंबित अपील की जानकारी को छुपाते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया ।

17. अधीनस्थ न्यायालय में भी दिनांक 13.3.2018 को प्रकरण में साक्ष्य वादी में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.4. 2018 नियत की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादी की ओर से साक्ष्य तलब की जानी चाहिये थी।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 17.4.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.7. 2018 को नियत की गई थी। परन्तु नियत दिनिांक 24.7. 2018 से पूर्व ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प गागेडा पर रखा गया । प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखे जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिये । जबकि अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना पत्र उभयपक्ष को नहीं भिजवाया गया है।

18. राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित होता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातातवरण में आपसी राजीनामा होना हो। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किये जाने पर ही राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में न तो उभयपक्ष के मध्य कोई राजीनामा हुआ था एवं न ही राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित ही की गई थी। चूंकि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 को सुनवाई का समुचित अवसर ही नहीं मिल पाया जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये तथा न्यायालय हाजा में लंबित अपील संख्या आर टी ए/50/2016 की जानकारी नहीं दे पाये। इसके अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.5.2018 पारित कर दी गई। जबकि न्यायालय हाजा में उक्त अपील 2016 से ही लंबित चल रही थी। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.5.2018 का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

19. प्रकरण में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प गागेडा में दिनांक 25.5.2018 को पारित किया गया एवं उसी दिन तहसीलदार से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया । जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया । उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर मुकुट बिहारी एवं मुकेश सोनी के हस्ताखर हैं। अपीलाधीन प्रकरण में मुकेश सोनी ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया था जिसने मिलीभगत कर बंटवाडा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं । अधीनस्थ न्याालय में तथ्य छिपाकर नया वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र डिक्री कराना प्रमाणित होता है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिये थी। राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना प्रस्तावित होता है जिसमें अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का समान रूप से बंटवाडा किया जाता है एवं कब्जे के बिन्दु को भी ध्यान में रखा जाता है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय यदि किसी पक्षकार को कोंई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में बटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है। अतः राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना के अभाव में तैयार बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.5.2018 का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

20. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.5.2018

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

एवं अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2018 को निरस्त किया जाता है।

21. निर्णय आज दिनांक 10.2.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लेखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.10 20:14:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: